



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र

कुलसचिव

Prof. Chittaranjan Mishra

Registrar

दूरभाष/Phone: +91-7152-230902

क्रमांक : 003 / 1998 / वि.प. / 9(23)-39 / 15

दिनांक : 10.06.2015


कार्यालयादेश

नए शैक्षणिक सत्र में वर्षभर की विभिन्न गतिविधियों एवं भावी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2015 (मंगलवार) को अपराह्न 4:30 बजे से भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों, संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक), अकादमिक संयोजक तथा परीक्षा प्रभारी की उपस्थिति आवश्यक है।

बैठक में प्रमुखतः निम्नांकित विषयों पर निर्णय लिए जाएँगे :

1. विद्या-परिषद की दिनांक 23.06.2015 को प्रस्तावित 23वीं बैठक की तैयारी, विशेष रूप से CBCS के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं MOOCs के तहत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को अपलोड करना।
2. नए अकादमिक सत्र में प्रवेश से जुड़े बिंदुओं पर विचार।
3. शैक्षिक/शोध उन्नयन की वार्षिक योजना के अंतर्गत वर्षभर में प्रस्तावित अकादमिक गतिविधियों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं इत्यादि किए जाने वाले कार्यक्रमों/कार्यों पर अनुमानित बजट सहित विचार-विमर्श।

उल्लेखनीय है कि इसी के आधार पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ शीघ्र आयोजित होने जा रही बैठक में कुलपति द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। अतः सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों एवं क्षेत्रीय केंद्र प्रभारियों से आग्रह है कि वे उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में अपनी-अपनी विभागीय बैठकें दिनांक 15.06.2015 को आयोजित करें तथा बैठक में विभाग के उपस्थित समस्त स्थायी एवं अस्थायी अध्यापकों के हस्ताक्षरयुक्त (कृपया अनुपस्थित अध्यापक का नाम एवं कारण का भी उल्लेख करें) कार्यवृत्त कुलपति कार्यालय में दिनांक 15.06.2015 (सोमवार) को सायं 5:30 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि अगले दिन की बैठक में अनुशंसाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।


(चित्तरंजन मिश्र) 10.6.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
2. कुलपति कार्यालय
3. प्रतिकुलपति कार्यालय
4. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक) को बैठक की पूर्ण व्यवस्था हेतु
5. अकादमिक संयोजक
6. परीक्षा प्रभारी
7. कार्यालय प्रति।